प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –314/2023

अनवान : –

1. दयाराम पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. जसरथ उर्फ दशरथ पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. प्रमोद पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. रूकमा देवी पुत्री दशरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. सुन्दर पुत्री दशरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 03.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 49/47 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में से 2/7 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 79/77 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि मं जसरथ उर्फ दशरथ संयुक्त रूप से 2/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हंसराम के नाम दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण अकेले जसरथ उर्फ दशरथ के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गयी जो की वादी की पैतृक दादालाई कृषि भूमि है। उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात बहिब का हक हिस्सा है।

प्रतिवादीगण स0 3 ता 4 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को [illegible] वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो [illegible] आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद [illegible] वादी का वाद डिक्री [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय इकबाल दावा/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 49/47 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में से 2/7 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 79/77 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि मं जसरथ उर्फ दशरथ संयुक्त रूप से 2/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 49/47 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में से 2/7 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 79/77 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि मे से 2/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। उभयपक्षकारान अपना अपना वहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –314/2023

अनवान : –

1. दयाराम पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. जसरथ उर्फ दशरथ पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. प्रमोद पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. रूकमा देवी पुत्री दशरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. सुन्दर पुत्री दशरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 314 सन 2023 निर्णय दिनांक 03.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 49/47 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि में से 2/7 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 79/77 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि मे से 2/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:37 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना